संख्या-03 /2019/681/62-2-2019-2/3(04)/2019

प्रेषक,

जुहैर बिन सगीर,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता,
लघु सिंचाई विभाग,
उ0प्र0, लखनऊ।

लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 09 अप्रैल, 2019

विषय- वित्तीय वर्ष 2019-20 के अन्तर्गत अनुदान संख्या-13 के अधीन लेखाशीर्षक-2702-लघु सिंचाई-80-सामान्य-800-अन्य व्यय-03-लघु सिंचाई योजना में प्राविधानित धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-01/ल0सिं0/बजट-अधि0/2019-20, दिनांक 02 अप्रैल 2019 एवं वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2019/ बी-1-170/दस-2019-231/2019, दिनांक 22 मार्च, 2019 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 के अन्तर्गत अनुदान संख्या-13 के अधीन लेखाशीर्षक-2702-लघु सिंचाई-80-सामान्य-800-अन्य व्यय-03-लघु सिंचाई योजना में प्राविधानित धनराशि रू0-27917.94 लाख के सापेक्ष समस्त धनराशि रू0-27917.94 लाख (रूपया दो सौ उन्यासी करोड़ सत्रह लाख चौरानवे हजार मात्र) को संलग्न विवरणानुसार श्री राज्यपाल आपके निवर्तन पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं:-

(1) उक्त समस्त धनराशि के आहरण, व्यय प्रबन्धन में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019, दिनांक 22 मार्च, 2019 में विनिर्दिष्ट किये गये समस्त अनुदेशों एवं अन्य सुसंगत वित्तीय नियमों/प्राविधानों/शासनादेशों का अनुपालन अक्षरशः अवश्यमेव सुनिश्चित किया जाय ।

(2) उक्त धनराशि चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 के अन्तर्गत लघु सिंचाई कार्यक्रम में चालू योजनाओं में अन्य व्यय (अधिष्ठान) की मदों में व्यय हेतु है। अवमुक्त धनराशि को किसी ऐसे मद पर कदापि व्यय न किया जाय, जिसके लिए वित्तीय हस्त पुस्तिका तथा बजट मैनुअल एवं शासन के स्थाई/अस्थाई आदेशों के अन्तर्गत शासन या सक्षम अधिकारी की स्वीकृति आवश्यक हो, ऐसा व्यय शासन या सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति व सहमति प्राप्त करने के उपरान्त ही किया जाय तथा व्यय अवमुक्त धनराशि तक सीमित रखा जाय। व्यय में की गयी किसी भी अनियमितता के लिए आहरण एवं वितरण अधिकारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(3) अतिरिक्त धनराशि की प्राप्ति की प्रत्याशा में अनाधिकृत एवं अधिक व्यय कदापि न किया जाय एवं व्यय हेतु समय-समय पर शासन द्वारा मितव्ययिता सम्बन्धी निर्गत आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय ।

(4) यह व्यक्तिगत रूप से सुनिश्चित कर लिया जाय कि अवमुक्त धनराशि के प्रत्येक बिल पर सही, सम्पूर्ण, मुख्य, लघु, उप एवं विस्तृत लेखाशीर्षक अवश्य अंकित किया जाय और प्रत्येक बिल पर दाहिनी ओर लाल स्याही से आयोजनेत्तर शब्द अवश्य लिखा जाय, अन्यथा महालेखाकार कार्यालय में सही बुकिंग में बाधा होगी। अवमुक्त धनराशि को यथाशीघ्र अधिशासी अभियन्ताओं को आवंटित करते हुए शासन को अवगत कराया जाय ।

(5) सामग्री के क्रय हेतु वित्त विभाग एवं उद्योग विभाग के द्वारा निर्गत शासनादेशों, स्थाई आदेशों एवं स्टोर परचेज नियमों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

(6) अवमुक्त धनराशि के समक्ष किए गए व्यय निम्नलिखित समय सारिणी के अनुसार निर्धारित रूप पत्रों पर मुख्य अभियन्ता, लघु सिंचाई विभाग को निश्चित रूप से उपलब्ध कराये जाएं:-

1-मासिक व्यय विवरण	आगामी माह की 05 तारीख तक
2-प्रारम्भिक व्ययाधिक्य तथा बचत का विवरण	15-10-2019 तक
3-व्ययाधिक्य तथा बचत का विवरण	15-12-2019 तक
4-वर्ष 2019-20 के आंवटन का अन्तिम लेखा विवरण (पुनर्विनियोग का प्रस्ताव) यदि कोई हो	15-02-2020 तक
5-आंवटन का समर्पण	15-03-2020 तक

नोट- दिनांक 15-03-2020 के बाद कोई भी समर्पण स्वीकार नहीं किया जाएगा।

2. तत्सम्बन्धी व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 के अन्तर्गत अनुदान संख्या-13 के अधीन "लेखाशीर्षक-2702-लघु सिंचाई-80-सामान्य-800-अन्य व्यय-03-लघु सिंचाई योजना" में सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामे डाला जायेगा ।

3. यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019, दिनांक 22 मार्च, 2019 के क्रम में निर्गत किये जा रहे हैं।

संलग्नक:-यथोक्त।

भवदीय,

(जुहैर बिन सगीर)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या-03/2019/ 681(1)/62-2-2019, तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज ।

(2) महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज ।

(3) वित्त (व्यय-नियन्त्रण) अनुभाग-2 उ0प्र0शासन ।

(4) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2 उ0प्र0शासन ।

(5) निदेशक, सूचना, उ0प्र0 ।

(6) एन0आई0सी0 की प्रति

(7) वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, लघु सिंचाई विभाग,उ0प्र0, लखनऊ ।

(8) गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(संजय शुक्ला)
अनु सचिव ।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या-03/2019/681/62-2-2019-2/3(04)/2019, दिनांक 09 अप्रैल, 2019 का संलग्नक

चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 के अन्तर्गत अनुदान संख्या-13 के अधीन "लेखाशीर्षक-2702-लघु सिंचाई-80-सामान्य-800-अन्य व्यय-03-लघु सिंचाई योजना" में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष अवमुक्त की जाने वाली धनराशि का विवरण।

(धनराशि लाख रू0 में)

क्रं0 सं0	मानक मद	वित्तीय वर्ष 2019-20 में बजट प्राविधान	अवमुक्त की जाने वाली धनराशि
1	2	3	4
1	01-वेतन	20394.00	20394.00
2	03-मंहगाई भत्ता	3059.10	3059.10
3	04-यात्रा व्यय	195.00	195.00
4	05-स्थानान्तरण यात्रा व्यय	10.00	10.00
5	06-अन्य भत्ते	200.00	200.00
6	07-मानदेय	0.01	0.01
7	08-कार्यालय व्यय	15.00	15.00
8	09-विद्युत देय	101.86	101.86
9	10-जलकर/जल प्रभार	14.86	14.86
10	11-लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	12.52	12.52
11	12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	30.75	30.75
12	13-टेलीफोन पर व्यय	3.00	3.00
13	15-गाडियों का अनुरक्षण ओर पेट्रोल आदि की खरीद	70.84	70.84
14	16-व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	5.00	5.00
15	17-किराया, उपशुल्क और कर स्वामित्व	50.00	50.00
16	29-अनुरक्षण	20.00	20.00
17	42-अन्य व्यय	1.00	1.00
18	44-प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	3.00	3.00
19	45-अवकाश यात्रा व्यय	5.00	5.00
20	46- कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफटवेयर का क्रय	60.00	60.00
21	47-कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	10.00	10.00
22	49-चिकित्सा व्यय	100.00	100.00
23	51-वर्दी व्यय	2.00	2.00
24	52-पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (राजकीय)	1400.00	1400.00
25	55-मकान किराया भत्ता	1940.00	1940.00
26	56-नगर प्रतिकर भत्ता	200.00	200.00
27	58-आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	15.00	15.00
	योग-	27917.94	27917.94

(रूपया दो सौ उन्यासी करोड़ सत्रह लाख चौरानवे हजार मात्र)

(संजय शुक्ला)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in